

मैं WA में NDIS में कैसे शामिल हो सकता हूँ?

चरण 1



पात्रता के लिए आवश्यक बातों की जाँच करें

पात्रता की आवश्यक बातों की जाँच करें

अपनी पात्रता की जाँच ऑनलाइन करें: <http://www.dsc.wa.gov.au/Am I Eligible/>

या 1800 996 214 पर फ़ोन करें; टीटीआई (टेलिटाइपराइटर) 08 9426 9315

या अपने स्थानीय संयोजन (Coordination) कार्यालय से संपर्क करें (आप अधिक जानकारी के लिए 08 9489 8900 पर फ़ोन कर सकते हैं)

चरण 2



दस्तावेज़ दें

एक स्थानीय संयोजक आपसे संपर्क करेगा और NDIS से जुड़ने में आपकी मदद करेगा। वह आपके लिए एक योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपकी पात्रता का निर्धारण करेगा।

इसके लिए आपको अतिरिक्त दस्तावेज़ देने की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि आपकी मेडिकल रिपोर्टें, आपके पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी और पते का प्रमाण, जैसे कि आपका वर्तमान ड्राइवर लाइसेंस या बिजली, गैस आदि (utility) का बिल। इस जाँच के दौरान आप किसी की मदद ले सकते हैं, जैसे कि आपका कोई मित्र, परिवार का सदस्य या वकील।

चरण 3



योजना बनाने में सहयोग

जब आप पात्रता की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं, तो आप उन संगठनों से संपर्क कर सकते हैं, जिन्हें योजना प्रक्रिया पर अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता मिलती है या आप अपने मौजूदा सहायता करने वालों से इस बारे में आपकी सहायता करने के लिए बात कर सकते हैं।

आर्थिक सहायता प्राप्त संगठनों में शामिल हैं: डेवलपमेंट डिसेबिलिटी WA, डाउन सिंड्रोम WA, फ़ार नॉर्थ कम्युनिटी सर्विस, फ़्रेमेंटल मल्टिकल्चरल सेंटर, रिचमंड वेलबीइंग, डब्ल्यूएआईएस WAIS और WA डेफ़ सोसाइटी (डिपार्टमेंट ऑफ़ कम्युनिटीज-डिसेबिलिटी सर्विसेज द्वारा समर्थित)। यदि आप को स्वलीनता (ऑटिज्म) स्पेक्ट्रम विकार है, तो आप ऑटिज्म एसोसिएशन से भी संपर्क कर सकते हैं।

चरण 4



व्यक्तिगत योजना बनाने में सहायता की शुरुआत

आपकी पात्रता की पुष्टि हो जाने के बाद, आपका स्थानीय संयोजक आपके लिए एक व्यक्तिगत सहायता योजना तैयार करने के लिए आपके साथ मिल कर काम करेगा। आप किसी अन्य व्यक्ति से इसमें सहयोग करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि आपका कोई मित्र, परिवार के सदस्य, देखभालकर्ता या वकील। आम तौर पर व्यक्तिगत योजनाएँ अनुमोदित किए जाने की तिथि से शुरू होकर 12 महीने तक लागू रहती हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ़ कम्युनिटीज (डिसेबिलिटी सर्विसेज) द्वारा समर्थित